


147

116  
151

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 1984/श्रावण 31, 1906  
No. 333] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 1984/SRAVANA 31, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1984

सा. का. सि. 621(अ).—केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमण और दीव  
(प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

690 GI/84

(1)

प्रयोग करते हुए, भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 (1925 का 4) गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित करती है।

[सं. यू-11015/3/84-यू.टी.एल. (159)]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1984

G.S.R. No. 621 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 (4 of 1925), to the Union territory of Goa, Daman and Diu.

[No. U-11015/3/84-UTL (159)]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.